


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

..... राजवीर पतासी रोषी बनाम गिरधारी
 किस्म मुकदमा 225 P/A मु. नं० 36 वर्ष 2020

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23-9-20	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। धारा 5 पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है स्थगन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 120/2019 बउनवानी गिरधारीलाल बनाम पतासी आदि में निर्णय दिनांक 26.07.2019 को एक पक्षीय रूप से खसरा नम्बर 385,490,519,521 से 525 मौजा वाके ग्राम सुरजगढ़ के सन्दर्भ में मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। यह आदेश 26.07.2019 से दिनांक 25.09.2020 तक यथावत रहना आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है। दिनांक 26.07.2019 के उपरान्त 15 तारीख पेशीयां दी जा चुकी है एवं लगभग 01 साल का समय व्यतित हो चुका है। ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन पाया जाता है यहां आदेशिका एवं प्रार्थीगण की आवेदन के अवलोकन से जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन जारी करने के उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण में कोई रूची नहीं ली गई है। फलतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार योग्य पाई जाती है। अत अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 120/2019 बउनवानी गिरधारीलाल बनाम पतासी आदि में निर्णय दिनांक 26.07.2019 को एक पक्षीय रूप से खसरा नम्बर 385,490,519,521 से 525 मौजा वाके ग्राम सुरजगढ़ के सन्दर्भ में मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त (खारिज) किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के प्रावधानों की पालना में आगामी दो माह में उभयपक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण करें। अहलमद निर्णय की प्रति विचारण न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर </p>	